न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0 ख0 महोदय कक्ष सं0 15 सुलतानपुर

OS- 866/20

1– हीरालाल आयु लगभग 65 साल
2– गोतीलाल आयु लगभग 62 साल
3– जवाहरलाल आयु लगभग 50 साल
} सुतगण राम दयाल

साकिनान– चौबेपुर मजरे महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी....

....वादीगण

बनाम

1– राम नरेश आयु लगभग 50 साल सुत मेडई

2– राम सजीवन आयु लगभग 65 साल सुत वासुदेव

3– मु0 राजमती आयु लगभग 65 साल बेवा राम लखन

4– हरिश्याम आयु लगभग 27 साल सुत राम लखन

5– विजय चन्द्र तिवारी उर्फ भोला आयु लगभग 45 साल सुत श्याम शंकर

6– राम मूरत आयु लगभग 40साल सुत सुखदेव

7– श्रीमती निर्मला आयु लगभग 45 साल पत्नी शिवप्रसाद

8' राम मूरत आयु लगभग 40साल
9– रामेश्वर आयु लगभग 45 साल
} सुतगण राम नाथ

साकिनान– चौबेपुर मजरे महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी.......

....प्रतिवादीगण

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) महोदय सुलतानपुर कक्ष सं0 15
हीरालाल आदि........ बनाम ....राम नरेश आदि सा0 वाद सं0 /2020

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

वादीगण निम्नभाति निवेदन करते है:–

धारा 1– यह कि वादपत्र के साथ एक मानचित्र गाटा सं0 46 स्थित ग्राम महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी का मुताबिक मौका व मुताबिक फाइनल नक्शा चकबन्दी बनाकर सलग्न किया जा रहा है जिसमें विवादित भूमि को बरगे सुर्ख लाइन से घेरकर यथास्थान

दर्शित किया जा रहा है जिससे वाक्यात मुकदमें को समझने में आसानी होगी। विवादित (गाटा) सं० 46 ख, फाइनल नक्शा चकबन्दी में गाटा सं० 46 में ही समाहित है।

धारा 2— यह कि ग्राम महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी में चकबन्दी काफी अर्सा पूर्व समाप्त हो चुकी है। मिलकियत फाइनल हो चुकी है धारा 52 जोत चकबन्दी अधिनियम का प्रकाशन काफी अर्सा पूर्व हो चुका है।

धारा 3— यह कि आराजी निजाई मुन्दर्जे तेहत दादरसी में उल्लिलिखित गाटा सं0 46 क्षे0 0.1450 हे0 (व) 46 ख क्षे0 0.5940 हे0 स्थित ग्राम महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी के वादीगण संक्रमणीय भूमिधर बाकब्जा है। वादभूमि इसी नम्बर का जुज है।

धारा 4— यह कि प्रतिवादीगण से आराजी निजाई से कोई वास्ता व सरोकार तथा कब्जा व दखल न तो कभी क्षण भर के लिये था और न है।

धारा 5— यह कि वादीगण एक शान्ति प्रिय तथा झगडा झझटो से दूर रहने वाले व्यक्ति है। प्रतिवादीगण का एक नाजायज समूह है । विस्तारवादी सोच के व्यक्ति है और उसी कडी में प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीगण की कमजोरी व शान्ति प्रियता का नाजायज फायदा उठाते हुये दिनाक 16.8.2020 ई0 को प्रातः लगभग 9:00 बजे विवादित भूमि पर आकर निशान लगाने व खन खोद करने का प्रयास किया। वादी द्वारा रोके जाने पर प्रतिवादीगण झगडा फसाद पर आमादा हों गये परन्तु ततसमय गॉव के कुछ सम्भ्रन्त व्यक्तियो के आ जाने से प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकत में सफल नहीं हो पाये और एलानियॉ तौर पर यह धमकी देते हुये वापस लौट गये कि देखता हूॅ कब तक गॉव वाले मदत करते है अबिलम्ब विवादित भूमि पर कब्जा करके घेर धार व निर्माण कर लूगॉ। चूॅकि वादीगण बमुकाबले वादीगण धन बल में कमजोर है लोहा लेने में मजबूर है इसलिये वादीगण को अपने हक के रक्षार्थ यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

धारा 6— यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनाक 16.8.2020 ई0 को प्रातः लगभग 9:00 बज वाद भूमि पर आकर निशान लगाने व खन खोद करने का प्रयास करने वादहू न सफल होने उक्त बेजाकृत्य आइन्दा देने धमकी करने तामीर वादभूमि बनीज वाद उसके बमुकाम

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0खं0) महोदय सुलतानपुर कक्ष सं0 15
हीरालाल आदि...... बनाम...... राम नरेश आदि मा0 वाद सं0- /2020

साकिन ग्राम चौबेपुर मजरे महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी के आर्थिक व भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उत्पन्न हुई।

रा 7– यह कि आराजी निजाई की बाजारी कीमत मु0 501000/– रूपया वास्ते क्षेत्राधिकार न्यायालय नियत किया जाता है चूँकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये अधिकतम न्याय शुल्क मु0 500 रूपया अदा किया जा रहा है।

याचना

वादीगण निम्नलिखित याचना करते है:–

(अ)– डिकी स्थाई व्यादेश बहक वादीगण व विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को सदैव – सदैव के लिए मना कर दिया जावे कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में कोई तामीर व किसी भी तरह का खन खोद न करे। वादीगण के विवादित भूमि के शन्तिपूर्ण कब्जा व दखल तथा उपयोग एंव उपभोग में किसी तरह की कोई बाधा व व्यवधान व हस्तक्षेप न करे।

(ब)–खर्च मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(स)– अन्य याचना जो वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादीगण मिल सकती हो प्रदान की जावे।

सराहत विवादित भूमि बरगं सुर्ख लाइन से महदूद वाके गाटा सं0 46 क्षे0 0.1450 हे0 व गाटा सं0 0.5940 हे0 के अन्दर स्थित ग्राम महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) महोदय सुलतानपुर कक्ष सं0 15
हीरालाल आदि........ बनाम........राम नरेश आदि मू0 वाद सं0 /2020

मैं हीरालाल स्वंय तस्दीक करता हूँ कि वादपत्र की धारा 1 ता 6 मेरे निजी जानकारी में सही व सच है इसमें न कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है तथा धारा 7 व याचना के सही होने में विश्वास करता हूँ ।तस्दीक स्थान दीवानी कचेहरी जनपद सुलतानपुर दिनांक–18.8.2020

हीरालाल

प्रार्थीगण:–

हीरालाल

1– हीरालाल

2– मोतीलाल

जवाहरलाल

3– जवाहरलाल (वादीगण)

द्वारा

Ram Bahadur

एडवोकेट

दिनाकं– 18.8.2020

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र.ख.) कक्ष सं.-15 सुल्तानपुर

हीरालाल आदि ________ वादीगण

बनाम

रामनरेश आदि ________ प्रतिवादीगण

दावा स्थाई व्यादेश

[मानचित्र]

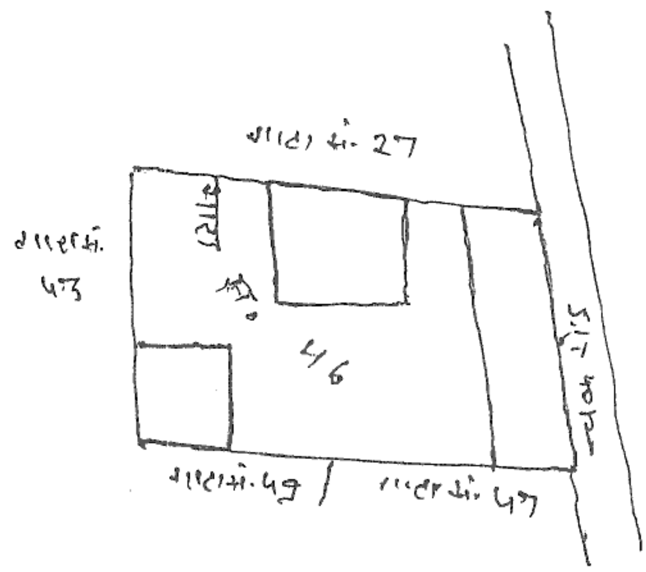

संकेत
वादीगण बंद सुर्ख़ लाइन

प्रार्थीगण :- हीरालाल आदि (वादीगण)
द्वारा
एडवोकेट
दिनांक - 18.8.20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

मूल वाद संख्या– 866/20

बनाम

दिनांक 10/8/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ। अवलोकित। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो। वाद दिनांक 10/9/20 को वास्ते बयान तहरीरी एंव दिनांक 25/9/20 को वास्ते बिरचित किये जाने वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन मे करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया।

...सुलतानपुर–2019-20 R ... साकेत प्रेस, सुलतानपुर

18.08.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–866 / 2020

हीरालाल आदि———बनाम———राम नरेश आदि।

262/2

दिनांक–18.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद भूमि दर्शित नक्शा वाद पत्र को गाटा संख्या 46 रकबा 0. 1450 हे0 व 46ख रकबा 0.5940 हे0 होना कहा है और यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण का वाद भूमि से कोई संबंध नहीं है। वह जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते है। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1 से उद्धरण खतौनी 10ग1/1, खसरा कागज संख्या 11ग1/1, भूचित्र की छायाप्रति कागज संख्या 12ग1/1, बन्दोवस्ती नक्शा की छायाप्रति कागज संख्या 12ग1/1, आधार कार्ड की छायाप्रति 13ग1/1 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 46ख एक मि0 नम्बर है। मि0 गाटा सैद्धांतिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित होता है। प्रस्तुत बन्दोवस्ती नक्शा की छायाप्रति के अवलोकन से गाटा संख्या 46 में मि0 गाटा संख्या 46ख की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः ऐसे में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 18.09.2020 को पेश हो।

18.08.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

18.08.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्र0 ख0)— कक्ष संख्या—15, सुलतानपुर

मूल वाद संख्या—866 / 2020
हीरालाल आदि———बनाम———राम नरेश आदि।

दिनांक—26.08.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.08.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा0 दी0 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में सविनय निवेदन है कि वादीगण ने दावा हाजा स्थाई व्यादेश का प्रस्तुत किया है। वादीगण ने वादपत्र में वाद भूमि को विधिसंगत ढंग से अपनी सही स्थान पर भूलवंश लोकेट नहीं किया है। उसकी कोई नाप भी नहीं दिया है खतौनी व खसरा में आराजी निजाई के अंकित मिनजुमला नम्बर का कोई स्पष्टीकरण विधि संगत ढंग से नहीं दिया है तथा अन्य विधिक बिन्दुओं को भी विधि की मंशा के अनुकूल स्पष्ट नहीं कर सका है। इस प्रकार वाद में Formal defect है और वाद को उठाकर नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञाप्त करने के इस वाद की विषय वस्तु के बावत पर्याप्त आधार है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वाद की विषय वस्तु के बावत नया वाद दायर करने की स्वतन्त्रता रखते हुए (With liverty to institute fresh suit) वाद को उठाये जाने की अनुमति चाहा गया है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.08.2020 स्वीकार किया जाता है। वादी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करे।

26.08.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या—15,
सुलतानपुर।

3ए/21

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0 ख0) महोदय कक्ष सं0 15 सुलतानपुर

OS- 939/20

1– हीरालाल आयु लगभग 65 साल
2– मोतीलाल आयु लगभग 62 साल
3– जवाहरलाल आयु लगभग 50 साल
} सुतगण राम दयाल

साकिनान– चौबेपुर मजरे महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी....

....वादीगण

बनाम

1– राम नरेश आयु लगभग 50 साल सुत मेड़ई

2– राम सजीवन आयु लगभग 65 साल सुत वासुदेव

3– मु0 राजमती आयु लगभग 65 साल बेवा राम लखन

4– हरिश्याम आयु लगभग 27 साल सुत राम लखन।

5– विजय चन्द्र तिवारी उर्फ भोला आयु लगभग 45 साल सुत श्याम शंकर

6– राम मूरत आयु लगभग 40साल सुत सुखदेव

7– श्रीमती निर्मला आयु लगभग 45 साल पत्नी शिवप्रसाद

8' राम मूरत आयु लगभग 40साल
9– रामेश्वर आयु लगभग 45 साल
} सुतगण राम नाथ

साकिनान– चौबेपुर मजरे महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी........

....प्रतिवादीगण

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) महोदय सुलतानपुर कक्ष सं0 15
हीरालाल आदि बनाम राम नरेश आदि मू0 वाद सं0 /2020

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

वादीगण निम्नभाति निवेदन करते है:–

धारा 1– यह कि मौजा महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी में चकबन्दी कार्यवाही काफी अर्सा पूर्व मुकम्मल हो चुकी है धारा 5 जोत चकबन्दी अधिनियम का प्रकाशन भी अर्सा पूर्व हो चुका है। मिलकियत कत्तई हो चुकी है।

Rsina

2– यह कि वादीगण गाटा सं0 46 क्षे0 0.1450 हे0 व 46 ख क्षे0 0.5940 हे0 जुगला क्षे0 0.7390 हे0 स्थित मौजा महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी के संक्रमणीय भूमिधर बाकब्जा है।

धारा 3– यह कि वर्तमान राजस्व अभिलेख खैतोनी व खसरा ग्राम महमदपुर उपरोक्त में गाटासं0 46 तथा 46 ख ही अलग अलग एक ही खाता नम्बर में अकिंत है और उक्त बटे के अलावा खसरा नम्बर 46 में और कोई बटे जात निर्मित ही नही है और यही कारण है कि खसरा में 46 का विभाजन अन्य खाता सं0 में नही दर्ज है गाटा सं0 46 एंव 46 ख के जुमला क्षे0 0.7390 हे0 का ही फाइनल नक्शा चकबन्दी मौजा महमदपुर में गाटा सं0 46 एक आकृति में बना है। फाइनल नक्शा चकबन्दी में 46 एंव 46 ख मुताबिक क्षेतफल विभक्त नही है और वादीगण उक्त मुकम्मल क्षेतफल के अध्यासित स्वामी है। जिसकी चौहद्दी में उत्तर गाटा सं0 27, दक्षिण गाटा सं0 47,48 व 49 पश्चिम गाटा सं0 43 व पूरब चकरोड गाटा सं0 25 है।

धारा 4– यह कि प्रतिवादीगण से आराजी निजाई से कोई वास्ता व सरोकार तथा कब्जा व दखल न तो कभी क्षण भर के लिये था और न है।

धारा 5 यह कि वादीगण एक शान्ति प्रिय तथा झगडा झझटो से दूर रहने वाले व्यक्ति है। प्रतिवादीगण का एक नाजायज समूह है । गिरतारनाकी सोच के व्यक्ति है और उसी कड़ी में प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीगण की कमजोरी व शान्ति प्रियता का नाजायज फायदा उठाते हुये दिनाक 27.8.2020 ई0 को प्रातः लगभग 8:00 बजे विवादित भूमि पर आकर निशान लगाने व खन खोद करने का प्रयास किया। वादी द्वारा रोके जाने पर प्रतिवादीगण झगडा फसाद पर आमादा हों गये परन्तु ततसमय गॉव के कुछ सम्भ्रन्त व्यक्तियो के आ जाने से प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकत में सफल नहीं हो पाये और एलानियॉ तौर पर यह धमकी देते हुये वापस लौट गये कि देखता हूँ कब तक गॉव वाले मदद करते है अबिलम्ब विवादित भूमि पर कब्जा करके घेर धार व निर्माण कर लूगॉ। चूँकि वादीगण बमुकाबले वादीगण धन बल में कमजोर है लोहा लेने में मजबूर है इसलिये वादीगण को अपने हक के रक्षार्थ यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) महोदय सुल्तानपुर कक्ष सं0 15 /2020

6– यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनाक 27.8.2020 ई0 को प्रातः लगभग 8:00 बजे वाद भूमि पर आकर निशान लगाने व खन खोद करने का प्रयास करने वादहू न सफल होने उक्त बेजाकृत्य आइन्दा देने धमकी करने तामीर वादभूमि बनीज वाद उसके बमुकाम साकिन ग्राम चौबेपुर मजरे महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी के आर्थिक व भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुई।

धारा 7– यह कि आराजी निजाई की बाजारी कीमत मु0 501000/– रूपया वास्ते क्षेत्राधिकार न्यायालय नियत किया जाता है चूँकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये अधिकतम न्याय शुल्क मु0 500 रूपया अदा किया जा रहा है।

याचना

वादीगण निम्नलिखित याचना करते है:–

(अ)– डिकी स्थाई व्यादेश बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को सदैव – सदैव के लिए मना कर दिया जावे कि प्रतिवादीगण आराजी निजाई मुन्दर्जे तेहत दादरसी में कोई तामीर व किसी भी तरह का खन खोद न करे। वादीगण के आराजी निजाई के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल तथा उपयोग एंव उपभोग में किसी तरह की कोई बाधा व व्यवधान व हस्तक्षेप न करे।

(ब)–खर्च मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(स)– अन्य याचना जो वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादीगण मिल सकती हो प्रदान की जावे।

सराहत आराजी निजाई गाटा सं0 46 क्षे0 0.1450 हे0 व गाटा सं0 46 ख क्षे0– 0.5940 हे0 जुमला क्षे0– 0.7390 हे0 स्थित ग्राम महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी मुन्दर्जा नक्शा नजरी बांग सुर्ख मुन्दर्जा वादपत्र।

मैं हीरालाल स्वंय तस्दीक करता हूँ कि वादपत्र की धारा 1 ता 6 मेरे निजी जानकारी में सही व सच है इसमें न कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है तथा धारा 7 व याचना के सही होने में विश्वास करता हूँ ।तस्दीक स्थान दीवानी कचेहरी जनपद सुलतानपुर दिनांक– 27-8-2020

हीरालाल

प्रार्थीगण:–

1– हीरालाल हीरालाल

2– मोतीलाल नि.अ. मोतीलाल

3– जवाहरलाल (वादीगण) जवाहर

द्वारा Ram Bahadur

एडवोकेट

दिनांक– 27.8

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०खं०) कक्ष सं० 15 सुलतानपुर

N
उत्तर

हीरा लाल आदि ——— वादीगण

बनाम

रामनरेश आदि ——— प्रतिवादीगण

मू०वा०सं० 12-20

[नक्शा- नजरी]

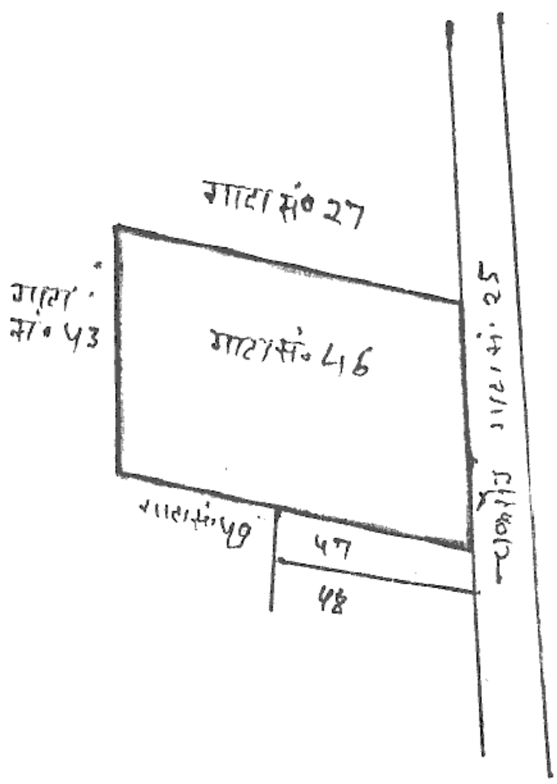

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०खं०) कक्ष सं० 15 सुलतानपुर
हीरालाल आदि बनाम रामनरेश आदि
मू०वा०सं० 12/20

प्रार्थीगण :- जवाहर लाल
हीरालाल आदि (वादीगण)

द्वारा
Ram Bahadur Singh
एडवोकेट
दि० 27-8-2020

27.8.20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

मूल वाद संख्या– 939/20

हीरामणि बनाम रामहरेश

दिनांक 27/09/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ । अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो । वाद दिनांक 27/9/20 को वास्ते बयान तहरीरी एंव दिनांक 05/10/20 को वास्ते बिरचित किये जाने वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन मे करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्ष सं0–15. सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया ।

...सुलतानपुर–2019–20...

...साकेत प्रेस, सुलतानपुर

आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण ...

27.09.2020 को पेश हो।

(संदीप कुमार)

सिविल ...

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–939/2020

हीरालाल आदि——बनाम——राम नरेश आदि।

दिनांक–27.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद भूमि दर्शित नक्शा वाद पत्र को अपनी आराजी गाटा संख्या 46 रकबा 0.1450 हे0 व 46ख रकबा 0.5940 हे0 जुमला क्षेत्रफल .7390 हे0 स्थिम मौजा महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी के संक्रमणीय बाकब्जा है। वाद पत्र की धारा 03 में कथन किया कि वर्तमान राजस्व अभिलेख खतौनी व खसरा ग्राम महमदपुर उपरोक्त में गाटा संख्या 46 तथा 46ख ही अलग–अलग एक ही खाता नम्बर में अंकित है और उकत बटे के अलावा खसरा संख्या 46 में और कोई बटेजात निर्मित ही नहीं है और यही कारण है कि खसरा में 46 का विभाजन अन्य खाता संख्या में नहीं दर्ज है गाटा संख्या 46 एवं 46 ख के जुमला क्षे0 0.7390 हे0 का ही फाइनल नक्शा चकबन्दी मौजा महमदपुर में गाटा संख्या 46 एक आकृति में बना है। फाइनल नक्शा चकबन्दी में 46 एवं 46ख मुताबिक क्षे0 विभक्त नहीं है और वादीगण उकत मुकम्मल क्षे0 के अध्यासित स्वामी है। जिसकी चौहद्दी में उत्तर गाटा संख्या 27, दक्षिण गाटा संख्या 47, 48, 49 पश्चिम गाटा संख्या 43 व पूरब चकरोड गाटा संख्या 25 है। प्रतिवादीगण से आराजी निजाई से कोई वास्ता व सरोकार तथा कब्जा व दखल न तो कभी क्षण भर के लिए था और न है। अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1/1 से उद्धरण खतौनी कागज संख्या 10ग1/1, खसरा कागज संख्या 11ग1/1, बन्दोवस्ती नक्शा की छायाप्रति कागज संख्या 13ग1/1, आधार कार्ड की छायाप्रति 12ग1/1 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी गाटा संख्या 46 और 46ख का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तुत खसरा में खाता खतौनी संख्या 395 में गाटा संख्या 46 व 46ख ही दो नम्बर दर्ज है। वादी द्वारा नक्शा वाद पत्र में विवादित भूमिखण्ड को गाटा संख्या 46 होना दर्ज किया है। चूंकि गाटा सख्या 46 में दो ही बटेजात है और दोनों वादी के नाम दर्ज है। ऐसे में वाद भूमि के बावत वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादीगण द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे वादीगण का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित गाटा संख्या 46 रकबा 0.1450 हे0 व 46ख रकबा 0.5940 हे0 जुमला क्षेत्रफल 0.7390 हे0 स्थिम मौजा महमदपुर परगना व तहसील व जिला अमेठी पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 17.09.2020 को पेश हो।

27.08.20

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15

सुलतानपुर

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का [illegible] कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन [illegible] वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय न[illegible] नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

27.08.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

05/10/20

27-09-20 – [illegible]

20-09-20 – [illegible]
[illegible] दि0 – 05-10-20
[illegible]

5-10-2020

5-10-20 – [illegible]
[illegible] 1-12-20 [illegible]

01/12/20

1-12-20

01-12-20 – [illegible]
दि0 – 07-01-21 को
[illegible]

07/01/21

7/1/21

24/02

ओलत गाद भूमि का

हल्का अमीन
ो। वनयुक्त
मय लेगा

os. No 93/12

07-01-21 - पुकारा वादी उपस्थित
ओक प्रस्ताव है।
दि - 24-02-21 को
वास्ते आपत्ति उत्तर
पेश हो। T.1-प्रभारी।

24-02-21, पुकारा वादी उपस्थित
दि - 19-04-21 को
वास्ते आपत्ति/प्रश्नगत पेश हो।
T.1-प्रभारी।

1.1
19/04/21

19.04.21 - G.D. 04-08-21
T.1-प्रभारी।

19/4/21

दिनांक-

हीरालाल